लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
055/2023 (GCMS 2023/156)	22.06.2023	18.07.2023

अनवान

सुनील चनाल पिता दिलीप चनाल निवासी वार्ड नंबर 12 पुराने बीज भण्डार के पास रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 82902 46777)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.02.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./055/2023(सू.अ.)(18.07.2023)/314 दिनांक 22.06.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 18.07.2023 को अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/187 दिनांक 18.07.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री सुनील चनाल पिता दिलीप चनाल निवासी वार्ड नंबर 12 पुराने बीज भण्डार के पास रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 82902 46777) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा से संबंधित होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र मूल ही सूचनचा का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत् अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा को इस कार्याल के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/39 दिनांक 16.02.2023 से अंतरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न हैं)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरांत वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा को अधिनियम 2005 में प्रावधित समयावधि में अंतरित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना किया जाना जाहिर होता है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नकों के अवलोकन से जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को भी प्रस्तुत किया गया है, एवं यह न्यायालय सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ का भी प्रथम अपीलीय न्यायालय है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा पत्रांक/आर.टी.आई/2023/2269 दिनांक 29.03.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना मूल ही जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को पत्रांक/पी.ए./2019/584-587 दिनांक 09.10.2019 से प्रेषित की जा चुकी है।

इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने का तथ्य है, इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में में लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा की हद तक अपील ग्रहण किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से नामंजूर किये जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर आता है अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 से विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों यथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा एवं लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा से एक ही सूचना चाही गई है कि " **यह कि नगर पालिका रावतभाटा की सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में चयनित हुए सफाई कर्मचारियों की शिकायत संबंधी जांच, कार्यवाही की**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्पूर्ण पत्रावली व उस पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाये।''

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा से आवेदन पत्र दिनांक 10. 02.2023 से उक्त सूचना चाही गई है, इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा को आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 अंतरित किया गया है, लेकिन इसके साथ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक/आर.टी.आई./2023/2269 दिनांक 29.03.2023 से सूचित किया गया है कि उक्त सूचना जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को पत्रांक/पी.ए./2019/584-587 दिनांक 09.10.2019 से मूल ही प्रेषित की गई है, ऐसी स्थिति अधिनियम 2005 की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को वांछित सूचना अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी को वांछित सूचना दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 10.02.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त हुआ बाबत् इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 से वांछित सूचना 15 दिवस में निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)